FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

चतरसिंह चौहान गांव जैतपुरा, पोस्ट सेन्दड़ा, तहसील रायपुर, जिला पाली

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 128 / 2019
R.C.M.S. No. --2019/00
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.11.19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 6/12/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	
6/12/19	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रा[illegible] 01/01/20 को पेश हो।	
1-1-20	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत कर वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधि० रायपुर को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सूचना उपखण्ड अधिकारी व तह० रायपुर को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा तह० रायपुर ने इस अपील में जरिये पत्रांक सू० अ०/2019/ के पत्रांक 355 दि 22-11-2019 के अवगत कराया कि अपीलांट को वांछित सूचना उनके पत्रांक / सू० अ०/2019/ 328 दि० 23-10-2019 के द्वारा पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। इस लिए प्रथम अपील निरस्त करने हेतु भी निवेदन किया। इस अपील में सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती लिहाजा अपील इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली जुमार दाखिल की जाकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।	

जिला कलेक्टर, पाली